डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–01/2010 जीसीएमएस नं. 2018/00211 दायर दिनांक:– 08.01.2010

1. हुकम पुत्र श्री दीपचंद जाति कुम्हार निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.
——वादी

बनाम

1. संतरूप पुत्र बद्री
2. लक्ष्मण पुत्र रामकिशोर
3. कारे पुत्र हरमुख जाति

} जातियान जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए जिला कलक्टर करौली राज.
——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संतोष कुमार मुद्गल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री राधेश्याम शर्मा, श्री हरिबाबू शर्मा, श्री सरदीलाल चौधरी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली में जब तक वादी की आराजी का विधिवत सीमाज्ञान नही हो तब तक प्रतिवादी संख्या 1ता0 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 के पूर्व–दक्षिणी दिशा में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नही करे ना ही अन्य से करावे वादी को शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने देवे। वादी एवं प्रतिवादीगण को निर्देश दिये जाते है कि अपनी खातेदारी वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ के सीमाज्ञान हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ के यहॉ पर विधिनुसार सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.03.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 27/3/2024
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gur
Date: 2024.09.25 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested

... दब्तदाई
(...नी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—01/2010 जीसीएमएस नं. 2018/00211 दायर दिनांक:— 08.01.2010

1. हुकम पुत्र श्री दीपचंद जाति कुम्हार निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.

—वादी

बनाम

1. संतरूप पुत्र बद्री
2. लक्ष्मण पुत्र रामकिशोर
3. कारे पुत्र हरमुख जाति

जातियान जाट निवासी पाली तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए जिला कलक्टर करौली राज.

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित — 1. श्री संतोष कुमार मुद्गल वकील वारी
2. श्री राधेश्याम शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री हरिबाबू शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 2
4. श्री सर्दी लाल चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 3

निर्णय दिनांक 27.3.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिए वकील खिलाफ प्रतिवादीगण दावा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 1.25 , 292/2 रकबा 0.40 है0 वाकेग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन में स्थित है जो कि वादी उक्त आराजी का एक मात्र मालिक खातेदार काश्तकार है और जमाने बुर्जुगान से फसल दर फसल काश्तकर सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है इस आराजी पर गत फसल बाजरा काश्त किया गया था जिसकी बुबाई नलाई गुडाई इत्यादि समस्त कृषिकार्य व हसियत खातेदार मालिक किये थे एवं बाजरा की फसल तैयार होने पर वादी के द्वारा ही काटी गई है और मौजूदा फसल सरसों व गेहू काश्त किये गये है और कुछ हिस्सा खाली पडा [illegible] इसमें वादी वाडी लगाने की तैयारी में है वादग्रस्त आराजी में फसल [illegible] पर फसल सरसब्ज हालात में खडी हुई है जिसके वादी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का इस आराजी व इसमें खडी फसल सरसो गेहू से कोई सम्बन्ध नही है परन्तु वादी जाति से [illegible]हार व वादी के जाती वाले ग्राम सीतापुर व आसपास के इलाके में अल्पसंख्यक होने के कारण व प्रतिवादीगण जाति से जाट व बाहुल्य संख्यक वाले व्यक्ति है जो अपने लठ्ठ व आदमी की ताकत पर वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी के मालिकाना भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर स्वयं का कब्जा करने को उतारू है । वाकिया दिनांक 08.01.2010 को सुबह 8—9 बजे का है कि वादी अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2024.09.25 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किस्म.

खडी फसल सरसो गेहू को देखने गया तो प्रतिवादीगण अपने साथ 5–6 मजदूर व मिस्त्री लेकर मौके पर आ गये और वादी के खेत खसरा नम्बर 292/2 रकबा 40 ईयर की पूर्व दक्षिणी कौने पर जबरन नीम खोदने लगे वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये और वादी से बोले कि हमारा तो लठ्ठ है और हम तो लठ्ठ की ताकत से तेरी इस जमीन में पुक्ता मकान तामील करके रहेगें तेरी मर्जी हो सो करो वादी ने प्रतिवादीगणो को काफी समक्षाया गया किन्तु वो मानने को तैयारी नही हुए, अगर प्रतिवादीगण अपने उक्त गलत व गैरकानूनी ईरादो में कामयाब हो गये तो वादी तो अत्यन्त हानि हो जावेगी तथा वादी बरवाद हो जावेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही होगी इस कारण दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है । विनाय दावा दिनांक 08.01.2010 को वादी की भूमि खसरा नम्बर 292/2 के रकबा पर जबरन प्रतिवादीगण द्वारा नीव खोदकर मकान तामील करने की धमकी देने से व वादी को लठ्ठ की ताकत से वादग्रस्त जमीन से बेदखल कर स्वयं जबरन कब्जा करने की धमकी देने व वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत,मदाखल पैदा करने की धमकी देने से व मुकाम सीतापुर तहसील हिण्डौन श्रीमान के क्षेत्राधिकार में पैदा हुई है दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है। श्रीमान को दावा सुनने का पूर्ण अधिकारी है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 के पूर्व दक्षिणी भाग कौने पर नीव खोदकर जबरन मकान निर्माण नही करे नाहि अन्य से करावे। वादी को उक्त आराजी पर किसी प्रकार से कोई हानि नही पहुचॉने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद करवाया जावे।

दावा वादी दर्ज पंजिका कर प्रतिवादगण को जरिए समन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादीगण 1ता3 जरिए बकलान्तन उपस्थित आये और जबाब दावा प्रस्तुत किये जिसमें प्रतिवादीगण नम्बर 1 ने अपने जबाब दावा में वादी के दावा में अंकित सभी पैराज को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि हमने किसी जबरन वादी की कोई जमीन पर कब्जा नही किया गया है नाही दिनांक 08.01.2010 को नीव खोदी है भूमि पर प्रतिवादीगण का निर्माण 10 वर्ष पूर्व का है। वादी प्रतिवादी को परेशानी करने की गरज से यह दावा पेश किया है जबकि प्रतिवादी ग्राम सीतापुर का नही हो कर ग्राम पाली के रहने वाले है और यह भूमि ग्राम सीतापुर व पाली की मेड पर है। प्रतिवादी नम्बर 1 का मकान ग्राम पाली की मेड बने हुए है खसरा नम्बर 292/2 से प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई ताल्लुक सम्बन्ध वास्ता नही है । प्रतिवादी नम्बर 1 ने खसरा नम्बर 474 रकबा 2 वीघा अलमसहूर तिवारे वाले को दिनांक 02.09.1999 को नथ्थी पुत्र मांग्या निवासी पाली से 6000 [illegible] के क्रय तकया था तभी से प्रतिवादी उक्त आराजी पर 8 गेह पाटोर [illegible] में निवास कर रहा है इस भूमि से वादी का कोई सम्बन्ध नही है । बल्कि [illegible] राजनैतिक असर वाला व्यक्ति है । प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है जिसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण को परेशान कर रहा है। वादी द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान तहसीलदार हिण्डौन से करा चुका है जिसमे प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा कोई कब्जा वादी की जमीन पर नही होना पाया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही प्रतिवादी 01 आज भी सीमाज्ञान कराने को तैयार है अन्त में जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

इसी प्रकार ने प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने जबाब दावा में वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादी ने तथ्य छुपाकर यह दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 02 को यह भी मालूम नही है कि वादी ने कौनसी फसल मौके पर काश्त की है प्रतिवादी ग्राम पाली का रहने वाला है । दिनांक 08.01.2010 को मौके पर किसी प्रकार की कोई बातचीत नही है प्रतिवादी अपने परिवार के साथ ग्राम पाली में स्थाई रूप से निवास करता है वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार नीव खोदने का कोई प्रश्न ही पैदा नही हुआ है । वादी अन्य किसी के बहकावे में आने पर यह दावा परेशान करने की दृष्टि से पेश किया गया है । अन्त में जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 03 दिनांक 28.05.2014 को उपस्थित नही होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 04 दिनांक 03.03.2010 को उपस्थित नही होने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादी ने दिनांक 06.07.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 176 ग्राम सीतापुर में कार्यवाही नही करने हेतु पेश किया गया था जिसे विधिवत सुनते हुए दिनांक 10.09.2012 को वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे में खसरा नम्बर 176 की कार्यवाही दावे में से डीलिट(समाप्त) करने के आदेश प्रदान किये गये है अब मात्र वादीगण दावा खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 का ही कार्यवाही करने का रहा है।

दावा एवं जबाब दावो के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 स्थित सीतापुर के पूर्व–दक्षिणी कौने पर नीव खोद कर मकान निर्माण नही करे।

   –वादी

2. वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 176, 292/2 में खडी फसल को हानि नही पहुँचावे।

   –वादी

3. आया यह है कि ग्राम सीतापुर 292/2 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर जबरन नीव नही खोदी, निर्माण करीब 10 वर्षो से पहले का हो रहा है। –प्रतिवादी नम्बर 1
4. आया यह है कि खसरा नम्बर 292/2 ग्राम सीतापुर के मेढे पर है। –प्रतिवादी नम्बर 1
5. प्रतिवादी नम्बर खसरा नम्बर 474 रकबा 2 वीघा दिनांक 02.09.1999 के क्रय करना ग्राम पाली के मेढे पर स्थित है। –प्रतिवादी नम्बर

वादी ने अपने दावा को साबित करने के लिए मौखिक तौर अपना स्वयं का शपथ पत्र मय तस्दीक–शुदा पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2014 से 2067 व नकल, खसरा गिरदावरी सम्बत 2064–67 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है साथ ही प्रतिवादी वकील को वादी से जिरह करने हेतु काफी अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gu
Date: 2024.09.25 11:57:31 IS
Reason: SelfAttested

दिये गये किन्तु उनके द्वारा न तो जिरह की गई नाही साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिन्हे दिनांक 31.08.2023 व 02.01.2024 को साक्षी प्रतिवादी बन्द की गई।

उभय पक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वादी ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि जबरन प्रतिवादी संख्या 1,2,3 भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर मकानात तामील करने पर आमादा है भूमि पाली व सीतापुर की मेढ पर है प्रतिवादीगण पाली के निवासी है जो सीतापुर की मेढ पर घुसकर निर्माण कर रहे है। इन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने बहस कथन में कथन किया है कि हम पाली के रहने वाले है वादी की जमीन पाली व सीतापुर की मेढ पर है जिसका सीमाज्ञान वादी द्वारा तहसीलदार हिण्डौन से कराने पर भी किसी प्रकार की कोई भूमि हमारी तरफ नही निकली है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 02.09.1999 को नत्थी पुत्र मांग्या निवासी पाली से खसरा नम्बर 474 रकबा 2 बीघा में से 60000/- रूपये में खरीद की गई है उसी भूमि में 10 वर्षो से पक्का निर्माण कर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है किसी प्रकार की वादी की भूमि पर कोई निर्माण नही किया गया है वादी ने परेशान करने की गरज से यह दावा पेश किया गया है। दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तनकीयात कायम की हुई है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से वादी से जिरह एवं जबाब दावो के अलावा अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है इस कारण प्रकरण का निस्तारण विधिनुसार तनकीवार नही किया जा कर सीधे ही रिकॉर्ड एवं जबाब दावो के आधार पर निम्न प्रकार से है ।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया गया कि जमाबन्दी सम्वत 2064 लगायत 2067 ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली खाता संख्या 177 मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 1.25, 292/2 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 है0 की खातेदारी वादी हुकम पुत्र दीपचंद जाति कुम्हार निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है इसी के अनुसार खसरा गिरदावरी में वादी ने खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 में फसल खरीफ मे बाजरा तथा रबी में सरसों, सम्बत 2065 खरीफ में बाजरा और रबी में सरसों सम्बत 2066 में खरीफ में बाजरा बोना साबित [illegible] मुताबिक नक्शा ट्रेस ग्राम सीतापुर में खसरा नम्बर 292/2 रकबा की तरमीम एवं [illegible] साबित है जहॉ पर वकील प्रतिवादीगणो ने अपने जबाब दावा एवं दौरान बहस कथन [illegible] है कि वादी ने इस आराजी का तहसीलदार हिण्डौन से सीमाज्ञान तथा प्रतिवादी नम्बर 1 [illegible] मकान खसरा नम्बर 474 जो ग्राम पाली नत्थी पुत्र मांग्या की खातेदारी से 60000/- रूपये में क्रय की गई भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर रहना बताया गया है वहॉ पर ना तो तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा किया गया सीमाज्ञान की रिपोर्ट एवं खसरा नम्बर 474 ग्राम पाली की खरीद के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई दस्तावेजी साक्ष्य यानि विक्रय पत्र , दान पत्र, सम्परिवर्तन आदेश की प्रतियॉ भी पेश है मात्र मौखिक कथनो से विधि के अनुसार यह नही माना जा सकता कि विवादित भूमि पर कब्जा नही किया हो बल्कि उक्त विवादित सम्पत्ति एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अपने जबाब के विशेष कथन में यह भी कथन किया कि वादी की भूमि का आज भी सीमाज्ञान कराने में सहमत है। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि वादी एवं प्रतिवादीगणो के मध्य मौके पर विवादित स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार से विवादित आराजी की सही जानकारी/मौका की स्थिति वादी की विवादित आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 ग्राम सीतापुर एवं प्रतिवादीगण की खातेदारियॉ भूमि ग्रम पाली में सीमाज्ञान होने के बाद ही पक्षकारो की खातेदारी भूमि का चिन्हीकरण हो सकेगा। लिहाजा दावा वादी डिक्री किया जाने योग्य है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत डिक्री किया जाता है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली में जब तक वादी की आराजी का विधिवत सीमाज्ञान नही हो तब तक प्रतिवादी संख्या 1ता0 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 292/2 रकबा 0.40 है0 के पूर्व–दक्षिणी दिशा में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नही करे ना ही अन्य से करावे वादी को शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने देवे। वादी एवं प्रतिवादीगण को निर्देश दिये जाते है कि अपनी खातेदारी वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ के सीमाज्ञान हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ के यहॉ पर विधिनुसार सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तथा नियमानुसार सीमाज्ञान करावे साथ ही न्यायालय हाजा में इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र निस्तारित माने जावेंगे। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 27/3/24

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:37:31 IST
Reason: SelfAttested